

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 574/2011/जयपुर  
मैसर्स अम्बा इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज.  
जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
घट प्रथम,वृत्त-के, जयपुर  
2.उपायुक्त(अपील्स)तृतीय  
वाणिज्यिक कर,जयपुर

अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपरिथत:

श्री एस.के.जैन

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 25.08.2014

प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 206/अपील्स-चतुर्थ/10-11 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम,वृत्त-के,जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा वर्ष 2001-02 के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 30 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.3.2010 के द्वारा अधिरोपित अन्तर कर रू. 50,199/-, अधिभार रू. 12,908/- तथा ब्याज रू. 64,369/-को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के अलोच्य अवधि कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.1.2004 को पारित किया,जिसकी जांच पर पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में रू. 7,17,130/- के कूलर की बिक्री सरकारी विभागों को घोषणा पत्रों के समर्थन में रियायती दर 5 प्रतिशत की दर से की गई थी, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(14) एफडी/टैक्स/डिवीजन/98-36 दिनांक 09.07.98 द्वारा नकारात्मक सूची के अनुसार All kinds of Electrical goods तथा Electrical Fans and Cooling equipments हैं, इसलिए कूलर को रियायती दर पर 5 प्रतिशत की दर से नहीं बेचा जा सकता। उक्त तथ्य पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30 सपठित वैट अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 पारित करते हुए



आलोच्य अवधि में रु. 7,17,130/- के कूलर की बिक्री पर 12 प्रतिशत की कर देयता मानते हुए अन्तर कर रु. 50,199/-, अधिभार रु. 12,908/- तथा ब्याज रु. 64,369/- आरोपित कर दिया। उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के गुणावगुण विचार करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2011 को आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर अधिभार एवं ब्याज को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2011 से क्षुब्ध होकर यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी-व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने पारित आदेश में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सरकारी विभागों को अधिसूचना क्रमांक एफ.4(14)एफडी/टैक्स डिवीजन/98-36 दिनांक 09.07.98 में कूलर की बिक्री 5 प्रतिशत रियायती दर से की जाने को इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार लाभ का हकदार नहीं मानकर इसके कूलर की बिक्री को कूलिंग इक्वीपमेंट की बिक्री होना निर्धारित करके कर, सरचार्ज व ब्याज अधिरोपित किया है जो अधिविक है, क्योंकि अपलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये कूलर कूलिंग इक्वीपमेंट की परिभाषा में नहीं आता है। कूलिंग इक्वीपमेंट वास्तव में एयर कंडीशनर, एयर कुलिंग प्लांट तथा उनके पुर्जे रेफ्रीजरेटर्स, वाटर कूलर्स, डीप फ्रिजर्स, तथा उनके पार्ट्स ही शामिल होते हैं इस कारण कूलर उक्त वस्तुओं से भिन्न है जो कि कूलिंग इक्वीपमेंट नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कूलिंग इक्वीपमेंट से संबंधित वस्तुओं पर अधिसूचना संख्या एफ. 4(12)एफडी/टेस-डिवी/2001-12 दिनांक 29.03.2001 की प्रविष्टि संख्या 180 में 12 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की है, परन्तु कूलिंग इक्वीपमेंट में कूलर भिन्न होने पर इसी अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 118(ए) के अनुसार डजर्ट एण्ड रूम कूलर पर कर दर 12 प्रतिशत से निर्धारित की है। उसके अतिरिक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 98 पर इलेक्ट्रिकल गुड्स की कर दर 8 प्रतिशत से निर्धारित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये कूलर पर उक्त प्रविष्टि संख्या 118(ए) से निर्धारित है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ए.4(14)एफडी/टैक्स डिवीजन/98-36 दिनांक 09.07.98 में नकारात्मक सूची में क्रम संख्या 6 पर All kinds of Electrical Goods तथा क्रम संख्या 10 पर Electrical fans and cooling equipment वर्णित हैं, जिन्हें कोई भी व्यवहारी, राज्य सरकार के किसी विभाग को 5 प्रतिशत रियायती दर से विक्रय करने हेतु अधिकृत नहीं है, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये कूलर उक्त नकारात्मक सूची की क्रम संख्या 6 व 10 से संबंधित नहीं है, इस कारण अपलार्थी





व्यवहारी कूलर को, जिसकी सामान्य रूप से कर दर 12 प्रतिशत है, को राज्य सरकार के विभाग को 5 प्रतिशत कर संग्रहित करके राज्य सरकार को बिक्री की घोषणा करते हुए नियमानुसार चुकाया था। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने 09.074.098 की अधिसूचना की नकारात्मक सूची संख्या 6 एवं 10 को वर्णित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का बिक्रीत माल क्रम संख्या 10 का निर्धारित करके अपीलार्थी पर 7 प्रतिशत से अन्तर कर, सरचार्ज तथा ब्याज निर्धारित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त तथ्यों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित अन्तर कर, सरचार्ज व ब्याज को अपास्त करने हेतु निवेदन किया।

उक्त कथन के अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री समस्त पर माल कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 29 के तहत समस्त बिक्री पर करारोपण किया जा चुका था, जिसमें नियमानुसार सरकारी विभागों की बिक्री को घोषणा प्रपत्रों की बिक्री मानते हुए नियमानुसार कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, इसके बावजूद कोई बिक्री का छिपाव नहीं होने पर भी कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 30 के तहत एसकेड कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 30 सपठित धारा 26 में आदेश पारित कर दिया है, वह अविधिक है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन की पुष्टि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम के.ई.नैनन (26 एसटीसी 251) के प्रकरण में पारित निर्णय उद्धरित किया।

विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30 सपठित वैट अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत एसकेड कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। उनका यह भी कथन है कि अधिनियम की धारा 30 सपठित वैट अधिनियम की धारा 26 के पारित किया गया आदेश समयावधि बाहर है और अधिनियम की धारा 30 की पालना नहीं की गई है।

उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 30 के साथ पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को 24.8.2007 को नोटिस





जारी किया गया है, जो पत्रावली के पेज 7 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु दिनांक 29.01.2007 को पेशी दिनांक 29.03.2007 के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो पत्रावली के पेज 6 पर उपलब्ध है तथा उसकी तामीली दिनांक 23.3.2007 को हुई है। अतः अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत एसकेण्ड कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस भी 5 वर्ष की अवधि की समय सीमा में जारी किये गये हैं, जो अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत विहित समयावधि में हैं। इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन अनुचित है कि अधिनियम की धारा 30 की पालना नहीं की गई है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में सरकारी विभागों को घोषणा पत्रों के समर्थन से रु. 7,17,130/- के कूलर की बिक्री अधिसूचना क्रमांक एफ.4(14)एफडी/टैक्स डिवीजन/98-36 दिनांक 09.07.98 के आधार पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत कूलर अधिसूचना संख्या एफ. 4(12)एफडी/ टैक्स-डिवी/ 2001-12 दिनांक 29.03.2001 की प्रविष्टि संख्या 180 में 12 प्रतिशत की दर निर्धारित है, इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी कूलर की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर से देय है। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(14)एफडी/टैक्स डिवीजन/98-36 दिनांक 09.07.98 को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है:-

S.No.1157 : F.4(14)FD/Tax Div/98-36 dated 09.07.1998

S.O.134.-In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994, and in supersession of this department noftn No.F.4(8)FDGr.IV/91-114 dated 06.03.1991 (as amended from time to time) {S.No.842}, the State Govt.{1.} hereby exempts from tax, the sale of any goods excluding the goods specified in the list appended hereto, by a registered dealer to the Govt. of Rajasthan or its departments for their use to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 5% on the following conditions, namely:-

1to 9.....

10. Electrical fans and cooling equipments

उक्त अधिसूचना के पठन से ज्ञात होता है कि राज्य के विभागों को कूलर की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज अथवा बिल या विभाग का पत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि राज्य सरकार के विभाग द्वारा कूलर खरीदने का आदेश दिया गया हो। दस्तोवजों के अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत कूलर राज्य सरकार के विभागों को विक्रय किये गये





है। अतः उक्त अधिसूचना अपीलार्थी व्यवहारी को कोई मदद नहीं प्रदान नहीं करती है।

कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री माल को अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफडी/ टेस-डिवी/ 2001-12 दिनांक 29.03.2001 की प्रविष्टि संख्या 180 से आच्छादित मानते हुए 7 प्रतिशत की दर से अन्तर कर,अधिभार एवं ब्याज आरोपित किया है। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु उक्त अधिसूचना को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा:-

S.No.1420 : F.4(12)FD/Tax Div/2001-12 dated 29.03.2001

S.O.393- In exercise of the powers conferred by S.4, RST Act, 1994, and in supersession of this department notfn No.F.4(1)FD/Tax Div/2000-279 dated 30.03.2000 (as amended from time to time) {S.No.1312}, the State Govt. {1}, hereby provides that with immediate effect the rate of tax payable by a dealer in respect of the goods specified in column 2 of the List given below, shall be as shown against them in column 3 of the said List :-

"1 to 117....."

"118-(a) Electrical fans, desert and room coolers, bulbs and tube lights, wires and cables, electrical home and other appliances, electric earthenware, electrical porcelain ware, insulators and parts and accessories thereof. 12%


(b) Electrically operated anti-mosquito devices and repellents used therein, room fresheners including those operated electrically or with manual sprayers. 12%

(c) Electronic home appliances including parts and accessories thereof. 12%

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज अथवा बिल उपलब्ध नहीं है,जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री माल कूलर राजकीय विभागों को सम्प्लाई किये गये हैं। यदि अपीलार्थी व्यवहारी राजकीय विभागों को कूलर सप्लाई करने का प्रमाण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो कर निर्धारण अधिकारी आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उक्त अधिसूचना के पठन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री माल कूलर की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर से कर देय है। उक्त अधिसूचना के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल कूलर पर 12 प्रतिशत की दर से देयता मानते हुए 7 प्रतिशत की दर से अन्तर कर,अधिभार एवं ब्याज आरोपित किया है, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई है,जो विधिक है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य